**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-19**

**जिसका उत्तर** 24 नवंबर**, 2014 को दिया जाना है ।**

**बिजली की कमी को पूरा करने के लिए उठाए**

**गए कदम**

**\*19. श्री अविनाश राय खन्नाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने अगले कुछ महीनों के दौरान मांग और आपूर्ति के अन्तर को दूर करने के लिए राज्य सरकारों से उचित कदम उठाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को मदद प्रदान करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (घ) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*

**विवरण**

**"बिजली की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

\*\*\*\*\*\*\*\*

**(क) से (घ) :** विद्युत एक समवर्ती विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों एवं पारेषण प्रणालियों की स्थापना कर राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

केन्द्र सरकार विद्युत की आपूर्ति में आ रही कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

1. 12वीं योजना के लिए पारम्परिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तुलना में, 48,026 मेगावाट की अभिवृद्धि पहले ही प्राप्त कर ली गई है।
2. 12वीं योजना के लिए 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों और 2,82,740 एमवीए ट्रान्सफार्मेशन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तुलना में, 45,570 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,56,354 एमवीए ट्रान्सफार्मेशन क्षमता प्राप्त कर ली गई है।
3. सरकार द्वारा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण तथा कृषि-फीडरों के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमें, नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है।
4. भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी करके सभी को चौबीस घंटे सातों दिन विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।
5. विद्युत केंद्रों के संयंत्र भार कारक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा पुराने विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की योजना बनाई जाती है।
6. स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को थर्मल संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़े हुए कोयला उत्पादन और कोयले के आयात द्वारा दूर किया जा रहा है।
7. ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता और मांग-पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्द्धन।
8. राज्य वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
9. पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*